न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 707–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–2–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 108/निगरानी/2009–10.

1– ईश्वर प्रसाद पुत्र नारायण सिंह
2– बृजकिशोर पुत्र नारायण सिंह
निवासीगण ग्राम कोठरी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नर्बदाप्रसाद पुत्र छोटेवीर
2– आनंदकुमार पुत्र नर्बदाप्रसाद
निवासीगण ग्राम बरहाकला
तहसील बरेली जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.के. जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, रायसेन को शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा जॉच कराई गई । जॉच में ज्ञात हुआ कि श्री यू0सी0 मेहरा, तत्कालीन नायब तहसीलदार, टप्पा बम्होरी, तहसील सिलवानी द्वारा वर्ष 2001–02 में भूमिस्वामी आनंद कुमार नाबालिग आत्मज नर्बदाप्रसाद, नर्बदा प्रसाद आत्मज छोटेवीर किरार तथा भगवानसिंह

आत्मज किशोर सिंह किरार की ग्राम कोठरी, तहसील सिलवानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 32/1, 65/2/1, 69, 116/1 एवं 116/2 कुल रकबा 45.96 एकड़ तथाकथित प्रकरण कमांक 8/अ–27/ना.तह./01–02 एवं प्रकरण कमांक 11/अ–27/ना.तह./01–02 में फर्जी कार्यवाही करते हुए अवैधानिक प्रकिया के तहत आदेश दिनांक 14–5–2002 पारित करते हुए भूमि का अवैध नामांतरण/बटवारा किया गया है । कलेक्टर द्वारा जॉच प्रतिवेदन आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को भेजे जाने पर आयुक्त द्वारा पत्र दिनांक 22–2–2007 से उपरोक्त दोनों प्रकरणों को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाकर आदेश पारित कर आदेश की प्रति भेजने के निर्देश कलेक्टर को दिये गये । आयुक्त के उपरोक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाकर दिनांक 7–1–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2002 निरस्त किया गया एवं नियमानुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–2–201 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का 40 वर्ष पूर्व बटवारा हुआ था, तब से आवेदकगण का निरंतर प्रश्नाधीन भूमि पर आधिपत्य होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से बटवारा आदेश को निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) कलेक्टर द्वारा आयुक्त के निर्देशों के पालन में स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय के दबाव में स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(3) आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने के निर्देश देने में जहां विधि की गंभीर भूल की गई है, वहीं न्यायालयीन अवमानना भी की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित है, ऐसी स्थिति में भी स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है ।

(5) आयुक्त के आदेश के दबाब में कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायालयीन आदेश के विरूद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है, और किसी पक्षकार को लाभ देने के उद्देश्य से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पारित बटवारा एवं नामांतरण आदेश की जानकारी अनावेदकगण को थी, क्योंकि उनके द्वारा ही व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उनके द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

(7) अनावेदकगण के नाम से जो 31.18 एकड़ का खाता था, वह बटवारानामा दिनांक 12–5–72 के आधार पर था । इस बटवारानामा नामांतरण को सीलिंग प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा अमान्य एवं शून्य घोषित कर दिया गया था, अतः यह खाता अवैध एवं महत्वहीन था, जबकि यह भूमि पारिवारिक बटवारे में आवेदकगण को मिली थी, और उनका शांतिपूर्ण आधिपत्य था ।

(8) प्रश्नधीन भूमि पर आवेदकगण के 40 वर्ष से निरंतर कब्जे में है, अतः संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत विरोधी कब्जे के आधार पर आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हो गये हैं ।

(9) लगभग 30–35 वर्ष पूर्व पारित आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने में कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्बित कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1996 आर.एन. 33 (हा.को.), 1982 आर.एन. 373 (हा.को.), 1997 आर.एन. 81 (हा.को.), 1992 आर.एन. 166 (हा.को.), 1982 आर.एन. 101, 1998 (1) एम.पी. डब्ल्यू.एन. नोट 26 (सु.को.), 2000 आर.एन. 161 (हा.को.), 1981 आर.एन. 333 (हा.को.) एवं 1984 आर.एन. 326 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 2 आनंदकुमार नाबालिग था, अतः नाबालिग की भूमि का बटवारा करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेशों को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध बिना नोटिस तामील कराये त्रुटिपूर्ण ढंग से सूचना पत्रों की चस्पा से तामीली होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विहित प्रावधानों का बिना पालन किये बटवारा आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी उक्त कार्यवाही वैधानिक एवं उचित नहीं है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में क्या अवैधानिकता हुई है, इसका कोई उल्लेख आवेदकगण द्वारा न तो निगरानी मेमों में किया गया है, और न ही तर्क के दौरान बतलाया जा सका है ।

(5) नायब तहसील द्वारा की गई बटवारा एवं नामांतरण की कार्यवाही धोखाधड़ी, जालसाजी एवं कपटपूर्वक होने से कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से की गई निगरानी की कार्यवाही वैधानिक एवं उचित है, और ऐसी कार्यवाही के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है ।

(6) चूंकि नायब तहसीलदार द्वारा पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है, अतः ऐसे आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने के लिए समय–सीमा का बंधन नहीं है, इस कारण भी कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक एवं उचित है ।

(7) कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत नहीं की जाये । आयुक्त द्वारा शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने के निर्देश देने में पूर्णतः उचित कार्यवाही की गई है ।

(8) प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, और प्रश्नाधीन भूमि पर 30–35 वर्षों से अनावेदकगण का ही ही कब्जा है ।

(9) बटवारा तभी किया जाता है, जब भूमि दो व्यक्तियों के नाम से अभिलिखित हो, और आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है, इसलिए तहसील न्यायालय को बटवारा आदेश पारित नहीं कर व्यवहार न्यायालय में जाने के आदेश दिया जाना चाहिए था, किन्तु इस तथ्य ओर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 आर.एन. 246 (हा.को. डबल बैच), 1995 आर.एन. 377, 1992 आर.एन. 121, 1993 आर.एन. 138, 1995 आर.एन. 27, 2009 आर.एन. 155, 2008 आर.एन. 371, 2012 (1) एम.पी.एल.जे. पेज 562 एवं 2011 आर.एन. 75, आई.एल.आर. 2012 एम.पी. 365, आई.एल.आर. 2014 एम.पी. 189 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 नर्बदा प्रसाद आत्मज छोटेवीर किरार की एकल खाते की भूमि रकबा 20 एकड़ को बटवारा आवेदक कमांक 1 ईश्वर प्रसाद के नाम से एवं अनावेदक कमांक 2 आनंद कुमार नाबालिग की भूमि का बटवारा आवेदक कमांक 2 बृजकिशोर के नाम से किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 सहपठित धारा 109/110 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो कि किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, कारण जैसे कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदकगण, अनावेदकगण की भूमि में सहखातेदार नहीं है, अतः कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा आयुक्त के पत्र के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित

करने में अनावेदकगण के विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अतः उनके द्वारा आयुक्त को शिकायत करने पर आयुक्त के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने की कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकरण में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल तकनीकी आधार उठाये जाकर तकनीकी आधारों पर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश को अवैधानिक एवं अनियमित ठहराये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूर्णतः विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण आदेश को तकनीकी आधारों पर स्थिर रखा जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कतिपय न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए यह आधार लिया गया है कि कलेक्टर द्वारा अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत हैं कि पूर्णतः अवैधानिक आदेश को समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है, और ऐसे आदेश को कभी भी स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर